वह तिथि जब निर्णय सुरक्षित रखा गया	वह तिथि जब निर्णय उद्घोषित किया गया	वह तिथि जब निर्णय वेबसाइट पर अपलोड किया गया	
		प्रवर्तनीय	पूर्ण
09.09.2025	20.11.2025	--	20.11.2025

2025:CGHC:56570-DB

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 840/2015

निर्णय सुरक्षित रखने का दिनाँक : 09.09.2025

निर्णय पारित करने का दिनाँक : 20.11.2025

- शंकर लाल राठिया, पिता गोवर्धन राठिया, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी ग्राम– कुनकुनी, थाना– खरसिया, सिविल एवं राजस्व जिला– रायगढ़, छत्तीसगढ़।

---अपीलार्थी

विरुद्ध

- छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना– खरसिया, जिला– रायगढ़, छत्तीसगढ़।

--- प्रत्यर्थी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एवं

दाण्डिक अपील क्रमांक 846/2015

- रुक्मणी बाई उर्फ गिधहिन, पति स्वं सुरेश डनसेना, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी ग्राम कुनकुनी, थाना खरसिया, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़)।

---अपीलार्थी

विरुद्ध

- छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी थाना– खरसिया, जिला– सरगुजा, छत्तीसगढ़।

--- प्रत्यर्थी

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री एफ.एस. खरे, अधिवक्ता दाण्डिक अपील क्रमांक 840/2015 में
और श्रीमती इंदिरा त्रिपाठी, अधिवक्ता
दाण्डिक अपील क्रमांक 846/2015 में।

प्रत्यर्थी की ओर से : श्री आशीष शुक्ला, अतिरिक्त महाधिवक्ता ।

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री अमितेन्द्र किशोर प्रसाद

(सी ए वी निर्णय)

न्यायमूर्ति रजनी दुबे द्वारा

1. चूंकि उपरोक्त अपीलें द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 20/2015 में दिनांक 02.07.2015 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय से प्रोद्भूत हैं, इसलिए इन्हें एक साथ सुना जा रहा है और इस एक ही निर्णय द्वारा निराकृत किया जा रहा है।

2. आक्षेपित निर्णय द्वारा, अपीलार्थीगण को निम्नानुसार दोषसिद्ध एवं दण्डित किया गया है:

दोषसिद्धि	दण्डादेश
भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन	प्रत्येक को आजीवन कठोर कारावास और ₹5,000/–का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में 06 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अधीन	प्रत्येक को 07 वर्ष का कठोर कारावास और ₹2,000/–का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में 02 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अभियोजन की कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 23.11.2014 को सूचनादाता मालती बाई (अ.सा.–1) द्वारा थाना खरसिया में सूचना दी गई कि अधपथरा सोखानाला नहर पुल के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है और इस सूचना के आधार पर पुलिस ने मर्ग सूचना (प्र.पी.–1) दर्ज की। उचित विवेचना के बाद मृतक की पहचान चेतन डनसेना के रूप में की गई और मर्ग जांच के दौरान मृतक के शरीर का मृत्यु समीक्षा तैयार कर मृत शरीर को शवपरीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खरसिया भेजा गया जहाँ डॉ. नवीन अग्रवाल (अ.सा.–5) ने शवपरीक्षण किया और अपने प्रतिवेदन (प्र.पी.–9) में अभिमत दिया कि मृत्यु का कारण गला घोंटने के परिणामस्वरूप श्वासवारोध था और मृत्यु प्रकृति में मानववध थी। शवपरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने और यह पुष्टि होने के बाद कि मृतक की मृत्यु प्रकृति में मानववध थी, दिनांक 28.11.2014 को अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 201 के अधीन प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी.–12) दर्ज की गई और पुलिस अधिकारी सक्रिय हुए। पुलिस द्वारा नज़री नक्शा तैयार किया गया और साक्षियों के विवरण के अनुसार उनके कथन अभिलिखित किए गए। दाण्डिक अपील क्रमांक 840/2015 के अभियुक्त/अपीलार्थी शंकर लाल और दाण्डिक अपील क्रमांक 846/2015 की रुक्मणी बाई को दिनाँक 29.11.2014 को अभिरक्षा में लिया

गया और उसके बाद उनके मेमोरेंडम कथन अभिलिखित किए गए। दाण्डिक अपील क्रमांक 840/2015 के अभियुक्त/अपीलार्थी शंकर लाल के मेमोरेंडम कथन के आधार पर उसकी निशानदेही पर घटनास्थल से एक प्लास्टिक की रस्सी, आई.बी. शराब की बोतल और डिस्पोजेबल गिलासें जब्त किए गए जबकि दाण्डिक अपील क्रमांक 846/2015 की रुक्मणी बाई उर्फ गिधहिन के मेमोरेंडम कथन के आधार पर उसकी निशानदेही पर एक नीले रंग का मेस्ट्रो दोपहिया वाहन और रजाई का खोल (गोदरी) जब्त किया गया। इसके पश्चात अपराध में अभियुक्त/अपीलार्थीगण की संलिप्तता के साक्ष्य मिलने पर शंकर लाल और रुक्मणी बाई को क्रमशः गिरफ्तारी मेमो प्र.पी.–14 और पी–15 के माध्यम से गिरफ्तार किया गया।

4. सामान्य विवेचना पूर्ण होने के पश्चात, अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त–अपीलार्थीगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 201 के अधीन अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने तत्पश्चात प्रकरण को विचारण हेतु सत्र न्यायालय को उपार्पित किया। विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोग–पत्र में निहित सामग्री के आधार पर, अपीलार्थीगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 एवं 201 के अधीन आरोप विरचित किए। अपीलार्थीगण द्वारा दोष अस्वीकार किए जाने पर उनपर विचारण चलाया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. अभियुक्त–अपीलार्थीगण को दोषी ठहराने हेतु, अभियोजन ने कुल 12 साक्षियों का परीक्षण किया है। अभियुक्त–अपीलार्थीगण के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किए गए, जिसमें उन्होंने अभियोजन प्रकरण में अपने विरुद्ध प्रतीत परिस्थितियों से इनकार किया, तथा स्वयं को निर्दोष बताते हुए झूठा फंसाए जाने का अभिवाक किया। अपीलार्थीगण द्वारा अपने बचाव में किसी भी बचाव पक्ष के साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया।

6. विद्वान विचारण न्यायालय ने संबंधित पक्षकारों के अधिवक्तागण को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात, अभियुक्त–अपीलार्थीगण को इस निर्णय के कण्डिका 2 में उल्लेखित अनुसार दोषसिद्ध एवं दंडादिष्ट किया है। अतः, यह अपील प्रस्तुत की गई है।

7. अपील क्रमांक 840/2015 में अभियुक्त/अपीलार्थी शंकर लाल की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एफ.एस. खरे का यह तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश का आक्षेपित निर्णय इस प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू विधि के सिद्धांतों के विपरीत है। अभियोजन साक्षियों के कथनों में कई विरोधाभाष और लोप हैं, किंतु विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य पर उचित रूप से विचार नहीं किया और महत्वपूर्ण साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है। विद्वान अधिवक्ता का आगे तर्क है कि अभियोजन का प्रकरण अंतिम बार साथ देखे जाने के साक्ष्य पर आधारित है। अंतिम बार देखे जाने के महत्वपूर्ण साक्षी, अर्थात मृतक के पिता मोहन लाल राठिया (अ.सा.–8), मृतक की माता गयान बाई (अ.सा.–06) और मृतक की पत्नी गणेशी बाई (अ.सा.–03) ने सह–अभियुक्त रुक्मणी उर्फ गिधहिन बाई तथा अपीलार्थी के

साथ अंतिम बार देखे जाने के तथ्य का समर्थन नहीं किया है। यह प्रकरण पारिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, किंतु अभियोजन द्वारा परिस्थितियों की श्रृंखला को संदेह से परे साबित नहीं किया गया है। वे वस्तुएं, जिनकी जब्ती अपीलार्थी के मेमोरेंडम कथन के आधार पर की जाना अभिकथित है, अभियोजन द्वारा पहले ही बरामद की जा चुकी थीं और इस तथ्य को प्रधान आरक्षक प्रकाश नारायण पाण्डेय (अ.सा.–7) ने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है, अतः ऐसी जब्ती अपनी प्रभावकारिता खो देती है। यहाँ तक कि मेमोरेंडम और जब्ती के साक्षी संजय राठिया (अ.सा.–2) और गोपाल सिंह (अ.सा.–4) ने भी अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। विद्वान विचारण न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करने में विफल रहा है और अपीलार्थी को दोषसिद्ध करते समय गंभीर त्रुटि कारित की है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि एक बार जब साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया और उन्होंने अभियोजन के पक्ष का समर्थन नहीं किया, तो अभियोजन पारिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला के प्रत्येक कड़ी को जोड़ने में असफल रहा है और इस प्रकार अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य या सामग्री उपलब्ध नहीं है जो अपीलार्थी को कथित अपराध से जोड़ सके। अतः अपीलार्थी की दोषसिद्धि अपास्त किए जाने योग्य है। संपूर्ण प्रकरण में, अपीलार्थी शंकर लाल राठिया के विरुद्ध कथित अपराध में उसे संलिप्त करने वाली कोई भी अभियोगात्मक सामग्री सामने नहीं आई है। किसी भी अभियोजन साक्षी ने अपीलार्थी के विरुद्ध कथन नहीं दिया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को केवल असमर्थित और अपुष्ट मेमोरेंडम कथन के आधार पर दोषसिद्ध किया है। विधि स्पष्ट है कि पुलिस को दिया गया मेमोरेंडम का भाग साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। मेमोरेंडम का प्रयोजन केवल बरामदगी तक सीमित है। इस प्रकरण में, अ.सा.–07 प्रकाश नारायण पाण्डेय के कथन के अनुसार बरामदगी भी संदेहास्पद है। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने में गंभीर त्रुटि की है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **अंजन कुमार शर्मा एवं अन्य विरुद्ध असम राज्य, 2017(14) एससीसी 359**;में प्रकाशित **कन्हैया लाल विरुद्ध राजस्थान राज्य**, **2014 (4) एससी 715**; में प्रकाशित **माधो सिंह विरुद्ध राजस्थान राज्य, 2010 (15) एससीसी 588** में प्रकाशित प्रकरणों में पारित निर्णयों, तथा **आर. श्रीनिवासा विरुद्ध कर्नाटक राज्य दाण्डिक अपील क्रमांक 859/2011** में पारित निर्णय दिनांक **06.09.2023** एवं इस न्यायालय द्वारा **ओंकार सिंह उर्फ कोंडा विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य दाण्डिक अपील क्रमांक 1843/2019** में पारित निर्णय दिनांक **02.09.2025** के निर्णयों का अवलंब लिया।

8. दाण्डिक अपील क्रमांक 846/2015 में रुक्मणी बाई की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्रीमती इंदिरा त्रिपाठी का यह तर्क है कि दिनांक 02.07.2015 का आक्षेपित निर्णय विकृत, त्रुटिपूर्ण तथा प्रकरण की विधि, तथ्यों और परिस्थितियों के विपरीत है, अतः यह अपास्त किए जाने योग्य है। विद्वान विचारण न्यायालय ने केवल अनुमानों और पूर्व–धारणाओं के आधार पर अपीलार्थी को अनुचित रुप से दोषसिद्ध किया है। अपीलार्थी की दोषसिद्धि अंतिम बार साथ देखे जाने के पारिस्थितिजन्य साक्ष्य पर

आधारित है, किंतु अंतिम बार देखे जाने का साक्ष्य (अ.सा.–3 गणेशी बाई, मृतक की पत्नी) विश्वसनीय नहीं है और इसे अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। उसने अपने साक्ष्य के कण्डिका 5 में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसका मृतक पति अकेले गया था और अपीलार्थी मृतक को बुलाने नहीं आई थी, तथा यह बात उसे उसके ससुर और पुत्र ने बताई थी। इसके अतिरिक्त, मोहन लाल (अ.सा.–8) ने भी यह कथन किया है कि अपीलार्थी उसकी बहू है और वह प्रायः घर आया करती थी तथा पक्षकारों के मध्य कोई शत्रुता नहीं थी। विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि विवेचना अधिकारी (अ.सा.–9) ने कण्डिका 6 में कथन किया है कि मृतक की मृत्यु पुल से गिरने के कारण हुई थी और कण्डिका 11 में यह भी कथन किया है कि सभी वस्तुएं दिनाँक 23.11.2014 को जब्त कर ली गई थीं, किंतु उन्होंने किसी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज नहीं की और शवपरीक्षण प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जो दिनाँक 24.11.2014 को प्राप्त हुई थी, और तत्पश्चात दिनाँक 28.11.2014 को अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज की गई, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वे वर्तमान अपीलार्थी को झूठा फंसाना चाहते थे। इस प्रकार, वर्तमान अपीलार्थी दोषमुक्ति की पात्र है।

अपने तर्कों के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने **आर. श्रीनिवास विरुद्ध कर्नाटक राज्य, 2023 लाइवलॉ (एससी) 751** में प्रकाशित; **शरद बिरदीचंद सारदा विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, 1984 एससीसी (4) 116** में प्रकाशित प्रकरणों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों, तथा इस न्यायालय द्वारा [सपूर्ण सिंह गोंड उर्फ मुन्ना विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य] **दाण्डिक अपील क्रमांक 1305/2014** में दिनांक **11.11.2022** को पारित निर्णय का अवलंब लिया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. दूसरी ओर, दोनों अपीलार्थीगण के तर्कों का विरोध करते हुए, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का समुचित विवेचन करने के उपरांत अपीलार्थीगण को उचित रूप से दोषसिद्ध किया है। अभियोजन द्वारा अंतिम बार साथ देखे जाने के सिद्धांत को विधिवत साबित किया गया है, जो अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि हेतु पर्याप्त है। अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि सुस्थापित है और इस न्यायालय द्वारा इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, तथा दोनों अपीलें खारिज किए जाने योग्य हैं।

10. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया।

11. विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख से यह स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने दोनों अपीलार्थीगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 एवं 201 के अधीन आरोप विरचित किए थे और मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्यों की विवेचना के उपरांत, विद्वान विचारण

न्यायालय ने अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 एवं धारा 201 के अधीन दोषसिद्ध किया।

12. पहला प्रश्न जिस पर हमें विचार करना है वह यह है कि क्या मृतक चेतन प्रसाद डनसेना की मृत्यु प्रकृति में मानव वध थी या नहीं।

13. मालती बाई (अ.सा.–1) ने कथन किया है कि उसकी सूचना पर पुलिस ने मर्ग सूचना दर्ज की थी जो प्रदर्श पी–1 है और वह उसमें 'ए से ए' भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार करती है। उसने यह भी बताया कि वह गांव के सरपंच राम कुमार को पहचानती थी और संजय कुमार को भी पहचानती थी। गांव में यह शोर मचा था कि नहर के पुल के नीचे किसी अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है, तब वह सरपंच और संजय कुमार के साथ वहां गई और देखा कि लगभग 30–35 वर्ष की आयु का एक अज्ञात व्यक्ति, जिसने काली पैंट और काला स्वेटर पहना हुआ था, नहर के पुल के पास मृत पड़ा था, जिसकी सूचना उसके द्वारा थाना खरसिया को दी गई थी। प्रतिपरीक्षण में उसने कथन किया है कि उसे उस व्यक्ति के शव के बारे में कोई जानकारी नहीं थी जिसका शव उसने देखा था, उसने पुलिस को सूचना दी कि वह शव किसका था, वह वहां कैसे पहुंचा और उसके साथ क्या घटना घटी थी, इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. के.के. आदिल (अ.सा.–9) वह निरीक्षक हैं, जिन्होंने अपराध क्रमांक 106/2014 में शवपरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त करने के पश्चात जिसमें मृतक की मृत्यु का कारण गला घोंटने के कारण श्वासावरोध होना पुष्ट/उल्लेखित किया गया था तथा अपराध के साक्ष्य को छिपाने के उद्देश्य से शव को नहर के पास फेंका जाना बताया गया था, मर्ग सूचना (प्रदर्श पी–1) के आधार पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी–12) दर्ज की। उन्होंने उक्त दस्तावेज़ के 'ए से ए' भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं।

15. प्रकाश नारायण पाण्डेय (अ.सा.–7) प्रधान आरक्षक हैं। उन्होंने कथन किया है कि उन्होंने मृतक चेतन डनसेना की मृत्यु समीक्षा कार्यवाही के लिए साक्षियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 175 के अधीन सूचना (प्रदर्श पी–2) जारी किया था और प्रदर्श पी–3 के अधीन मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार किया तथा मृतक के शरीर को शव परीक्षण हेतु शासकीय अस्पताल, खरसिया को प्रदर्श पी–9 के माध्यम से भेजा। उन्होंने सभी दस्तावेजों प्रदर्श पी–3, पी–3 और पी–9 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं।

16. डॉ. नवीन अग्रवाल (अ.सा.–5) ने दिनांक 24.11.2014 को मृतक का शव परीक्षण किया और प्रदर्श पी–9 के माध्यम से अपना प्रतिवेदन दिया, जिसमें निम्नलिखित चोटों/लक्षणों का उल्लेख किया गया है:–

(i) कंठ की क्रिकॉइड अस्थि के ऊपर 35 सेंटीमीटर लंबाई और 0.75 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक गोलाकार फंदे का निशान पाया गया।

(ii) मृतक के शरीर पर कोई अन्य बाह्य चोट नहीं देखी गई।

शव–परीक्षण शल्य चिकित्सक ने अपना अभिमत व्यक्त किया कि मृतक की मृत्यु का कारण गला घोंटने के कारण श्वासावरोध था और मृत्यु की प्रकृति मानव वध थी।

17. प्रतिपरीक्षण में, शव–परीक्षण चिकित्सक ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि उन्होंने अपने शवपरीक्षण प्रतिवेदन में मृतक की चोटों के संबंध में ऐसा कोई अभिमत नहीं दिया था कि उक्त चोट किसी रस्सी द्वारा गला घोंटने के कारण कारित हो सकती थी। शव–परीक्षण चिकित्सक ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं को फांसी लगाता है, तो दबाव के कारण उसकी गर्दन पर निशान बन जाएगा, और उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति फांसी लगाता है, तो उसकी गर्दन पर पाया जाने वाला निशान ऊर्ध्वाधर होगा, और यदि किसी व्यक्ति का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गला घोंटकर हत्या की जाती है, तो गर्दन पर पाया जाने वाला निशान गोलाकार होगा। इसके अतिरिक्त शव–परीक्षण चिकित्सक के साक्ष्य में ऐसा कोई अभियोगात्मक तथ्य सामने नहीं आया है जो उनके परिसाक्ष्य को अविश्वसनीय बना दे। इस प्रकार, उपरोक्त के आलोक में, अभियोजन यह तथ्य साबित करने में सफल रहा है कि मृतक की मृत्यु प्रकृति में मानव वध थी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

18. अगामी प्रश्न जो इस न्यायालय द्वारा विचारार्थ उद्भूत होता है, वह यह है कि क्या यह केवल अपीलार्थीगण और अपीलार्थीगण ही थे जिन्होंने मृतक चेतन प्रसाद डनसेना की हत्या कारित की।

19. गणेशी बाई (अ.सा.–3) मृतक की पत्नी है। उसने कथन किया है कि घटना के दिन उसका पति पूरे दिन घर पर रहा और शाम 4.00 बजे वह उसके ससुर के पास धान लाने गया था। उसका मृतक पति धान लेकर वापस आया, हाथ–मुँह धोया और फिर बाहर चला गया तथा उसके वृद्ध ससुर के घर पर टीवी धारावाहिक गोपी बहू देख रहा था। उसने यह भी बताया कि उसका मृतक पति रात लगभग 9.00 बजे घर आया, उस समय वह टीवी देख रही थी। उसके पति ने उसे खाना निकालने के लिए कहा, और उसने उसे खाना दिया। रात्रि भोज के बाद, दाण्डिक अपील क्रमांक 846/2015 की अभियुक्त/अपीलार्थी रुक्मणी बाई उर्फ गिधहिन उसके मृतक पति को बुलाने आई और तब उसका पति अभियुक्त/अपीलार्थी रुक्मणी बाई के साथ चला गया और उसके बाद उसका पति घर वापस नहीं लौटा। उसने यह भी बताया कि वह पूरी रात अपने पति को फोन करती रही लेकिन उसके पति का मोबाइल आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा था और बाद में वह स्विच ऑफ हो गया। अगली सुबह, वह अभियुक्त/अपीलार्थी रुक्मणी बाई के घर गई और अपने पति के बारे में पूछा। उसके घर में पाउच और छिलके पड़े थे और अभियुक्त/अपीलार्थी रुक्मणी बाई के घर में टेबल और मिक्सर रखे हुए थे। इस

साक्षी ने अभियुक्त/अपीलार्थी रुक्मणी बाई से पूछा कि ये किसने खाए हैं, तब उसने बताया कि दाण्डिक अपील क्रमांक 840/2015 का अभियुक्त/अपीलार्थी शंकर लाल राठिया रात लगभग 2.00 बजे उसके घर आया था, जिसके बाद यह साक्षी अपने घर आ गई। अभियुक्त/अपीलार्थी रुक्मणी बाई ने उसे यह भी बताया था कि मृतक का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि उसके पति ने अपने और बच्चों के फोटोग्राफ, वाहन चालन अनुज्ञप्ति और 50,000/– रुपये अपने पास रखे थे। अभियोजन ने इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया और उससे प्रतिपरीक्षण किया, तब उसने इस सुझाव से इनकार किया कि उसने अपने पति की गर्दन पर रस्सी के निशान देखे थे, लेकिन उसने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसके पति ने बैंक से 50,000/– रुपये निकाले थे जिसे अभियुक्तों/अपीलार्थीगण ने ऋण (लोन) के रूप में मांगा था। उसने बचाव पक्ष के इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि घटना के दिन रात में उसका पति घर से अकेला निकला था, किंतु फिर इस साक्षी ने स्वयं कथन किया कि अभियुक्त/अपीलार्थी रुक्मणी बाई उसके पति को बुलाने आई थी और अभियुक्त/अपीलार्थी शंकर लाल उसके साथ नहीं था। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि जब वह रुक्मणी बाई के घर गई थी, उस समय अभियुक्त/अपीलार्थी शंकर लाल वहां नहीं था। इस साक्षी ने कण्डिका 7 में कथन किया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी रुक्मणी बाई से उसका संबंध नहीं है। वह केवल एक परिवार की सदस्य है। वह रिश्ते में उसकी जेठानी लगती है। उसने स्वीकार किया कि वह प्रायः रुक्मणी के घर जाती थी और रुक्मणी भी कभी–कभी उसके घर आती थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्त/अपीलार्थी रुक्मणी उसके पति को बुलाने उसकी उपस्थिति में नहीं आई थी, और उसने स्वयं कथन किया कि अभियुक्त/अपीलार्थी रुक्मणी द्वारा उसके पति को बुलाए जाने का तथ्य उसे अपने ससुर और पुत्र द्वारा बताया गया था। उसने यह भी कथन किया कि अपने मृतक पति के घर से जाने और उसका शव बरामद होने के बाद उसने थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। उसके पति का शव उसके घर छोड़ने के एक दिन बाद बरामद किया गया था। इस साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके मृतक पति और उसका अभियुक्त/अपीलार्थी रुक्मणी के साथ कोई विवाद या झगड़ा नहीं था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

20. ज्ञान बाई (अ.सा.–6) मृतक की माता है। उसने कथन किया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी रुक्मणी बाई ने उसके मृतक पुत्र चेतन को बुलाया था और उसे अपने साथ ले गई थी। उसका पुत्र रात में नहीं आया और सुबह तक वापस नहीं लौटा। प्रतिपरीक्षण में, इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि जब अभियुक्त/अपीलार्थी रुक्मणी बाई उसके पुत्र को बुलाने आई थी, उस समय वह घर पर नहीं थी। वह स्वीकार करती है कि अन्य लोगों ने उसे बताया था कि अभियुक्त/अपीलार्थी रुक्मणी बाई उसके पुत्र को बुलाने आई थी।

21. मोहन लाल (अ.सा.–8) मृतक चेतन का पिता है। उसने कथन किया है कि घटना के दिन रात लगभग 9–10 बजे, जब उसका पुत्र घर में सो रहा था, उस सुसंगत समय पर अभियुक्त/अपीलार्थी रुक्मणी बाई उर्फ गिधहिन उसके घर आई और उसे इशारे से बुलाया। उसने कथन किया है कि उसने

अभियुक्त/अपीलार्थी को अपने पुत्र को बुलाते हुए देखा था और उसके बाद उसका पुत्र घर वापस नहीं लौटा। प्रतिपरीक्षण में, इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी रुक्मणी बाई उर्फ गिधहिन उसकी बहू है और वह उसके घर आया करती थी। उसने यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी रुक्मणी बाई उर्फ गिधहिन और उसके मृतक पुत्र के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध थे। उनके मध्य कोई विवाद या झगड़ा नहीं था।

22. मृतक की पत्नी, माता और पिता क्रमशः गणेशी बाई (अ.सा.–3), गयान बाई (अ.सा.–6) और मोहन लाल (अ.सा.–8) के उपरोक्त परिसाक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि अ.सा.–3 और अ.सा.–4 अंतिम बार साथ देखे जाने के साक्षी नहीं हैं और वे अनुश्रुत साक्षी हैं। यद्यपि अ.सा.–8 ने अभियुक्त/अपीलार्थी रुक्मणी बाई को इशारे से मृतक को बुलाते हुए देखा है, किंतु अभियुक्त/अपीलार्थी रिश्तेदार होने के नाते प्रायः उसके घर आया करती थी और अभियुक्त/अपीलार्थी तथा मृतक के मध्य कोई विवाद नहीं था। अंतिम बार देखे जाने के साक्ष्य की एक–दूसरे से संपुष्टि नहीं होती है, अतः इस स्तर पर अंतिम बार साथ देखे जाने का सिद्धांत कमजोर हो जाता है।

23. अभियुक्तों/अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि का एक अन्य आधार उनके मेमोरेंडम कथन और उन मेमोरेंडम कथनों के अनुसरण में की गई वस्तुओं की जब्ती है।

24. अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के मेमोरेंडम कथनों की शुद्धता को साबित करने के उद्देश्य से, इस न्यायालय ने निरीक्षक के.के. आदिल (अ.सा.–9) के साक्ष्य का अवलोकन किया है। उन्होंने कथन किया है कि उन्होंने अभियुक्त/अपीलार्थी शंकर लाल का मेमोरेंडम प्रदर्श पी–8 के माध्यम से दर्ज किया था। मेमोरेंडम कथन में, अभियुक्त/अपीलार्थी शंकर लाल ने उस तरीके और ढंग का खुलासा किया जिससे उसने मृतक को मृत्यु कारित की थी। सुलभ संदर्भ हेतु, मेमोरेंडम कथन का सुसंगत अंश यहाँ निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:–

> "दोनो रस्सी से चेतन को गला दबाकर शव को निचे पुल नहर में फेंक दिये है. हम दोनो वापस घर आ गये रस्सी को वही पुल के पास फेंका हूं चलकर बरामद करा देता हूं।"

इस साक्षी ने अभियुक्त/अपीलार्थी रुक्मणी बाई का मेमोरेंडम कथन भी प्रदर्श पी–5 के माध्यम से दर्ज किया, जिसमें उसने यह प्रकट किया कि वह, अभियुक्त/अपीलार्थी शंकर और मृतक चेतन उसकी स्कूटी पर शराब की दुकान गए थे। स्कूटी मृतक चेतन चला रहा था। मृतक चेतन ने आई.बी. शराब की दो बोतलें, डिस्पोजल और मिक्सर खरीदे और वे नहर के पास गए। मृतक चेतन ने दो पेग तैयार किए। अपीलार्थी शंकर यह कहकर नहर की ओर गया कि वह वापस आएगा और कुछ समय बाद वह लौट आया। मृतक चेतन ने शराब पी और अपीलार्थी शंकर ने शराब अपने मुँह में डाला और उसे थूक दिया। जब मृतक चेतन अत्यधिक नशे में था और संघर्ष करने लगा, तब उन्होंने रस्सी से मृतक का गला दबा दिया और उसका शव नहर में फेंक दिया तथा घर आ गए। उसने वाहन और रजाई का खोल अपने घर में रखा था, चलिए चलकर बरामद करा देती हूँ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

मेमोरेंडम कथन का सुसंगत अंश निम्नानुसार है :–

"मेरी गाडी तथा गोदरी खोल भी घर में रखी हूं चलकर बरामद कर देती हूं।"

25. अभियुक्त/अपीलार्थी रुक्मणी बाई के मेमोरेंडम (प्रदर्श पी–5) के अनुसार, जब्ती पत्रक (प्रदर्श पी–6) तैयार किया गया और एक नीले रंग का मेस्ट्रो दुपहिया वाहन तथा रजाई का एक खोल (गोदरी) जब्त किया गया। साथ ही, अभियुक्त/अपीलार्थी शंकर लाल के मेमोरेंडम कथन (प्रदर्श पी–8) के अनुसार, एक प्लास्टिक की रस्सी, आई.बी. शराब की 200 मिलीलीटर की एक खाली बोतल और दो डिस्पोजल गिलास प्रदर्श पी–7 के माध्यम से जब्त किए गए।

26. यद्यपि, दोनों अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के मेमोरेंडम कथनों के आधार पर उपरोक्त वस्तुएं जब्त की गई थीं, किंतु अभियोजन यह साबित करने में सक्षम नहीं रहा है कि ये वस्तुएं प्रश्नाधीन अपराध से किस प्रकार सह–संबंधित हैं। अभियोजन द्वारा प्रकरण में कोई न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं की गई थी। यह न्यायालय विवेचना अधिकारी के.के. आदिल (अ.सा.–9) के साक्ष्य का गहराई से अनुशीलन करता है, जिसमें उन्होंने अपने प्रतिपरीक्षण के कण्डिका 9 में स्वीकार किया है कि दिनांक 29.11.2014 को सुबह 11.00 बजे उन्हें ज्ञात हुआ था कि पुल से कुछ दूरी पर एक रस्सी, जिससे मृतक का गला घोंटा गया था, आई.बी. शराब की एक टूटी हुई बोतल और डिस्पोजल गिलासें पड़े हुए थे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि उन्होंने सुबह 11.00 बजे प्रदर्श पी–13 के माध्यम से मौका नक्शा तैयार किया था और अभियुक्त/अपीलार्थी रुक्मणी बाई प्रदर्श पी–5 तथा अभियुक्त/अपीलार्थी शंकर लाल प्रदर्श पी–8 के मेमोरेंडम कथन दिनाँक 29.11.2014 को क्रमशः दोपहर 01.00 बजे और 12.00 बजे दर्ज किए थे; किंतु विवेचना अधिकारी द्वारा सुबह 11.00 बजे तैयार किए गए मौका नक्शा (प्रदर्श पी–13) के कण्डिका 10 में, उन्होंने घटना के सभी विवरणों/क्रमों को लेखबद्ध कर दिया था कि दोनों अभियुक्त व्यक्तियों ने मृतक की हत्या किस प्रकार की थी। विवेचना अधिकारी द्वारा तैयार किए गए मौका नक्शा (कण्डिका 10) का विवरण यहाँ निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:–

(i) चिन्हांकित स्थान पर मृतक चेतन डनसेना का शव को पुल के नीचे से फेंका गया था।

(ii) पुल के उपर आरोपिया के मैस्ट्रो दोपहिया बाइक को खडा किये थे तथा बगल में बैठ कर शराब पीये ।

(iii) सोखा नहर का उत्तर पार।

(iv) सोखा नहर का दक्षिण पार।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(v) मृतक चेतन डनसेना के (गला को) रस्सी से गलाघोटकर मारा गया तथा रस्सी से आरोपी शंकर राठिया द्वारा फेंका गया था तथा पुल से कुछ दूरी पर आई बी एक पाव नीचे टूटा हुआ तथा दो डिस्पोजल भी फेंका गया था।

27. अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के मेमोरेंडम कथनों और मौका नक्शा (प्रदर्श पी–13) के सरल विश्लेषण से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के मेमोरेंडम कथन दर्ज करने से पूर्व ही, विवेचना अधिकारी ने वह तरीका और ढंग बताते हुए मौका नक्शा तैयार कर लिया था जिससे मृतक की हत्या की गई थी। इस प्रकरण में यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि विवेचना अधिकारी को अभियुक्त व्यक्तियों के मेमोरेंडम कथन दर्ज करने से पूर्व ही घटना के बारे में कैसे पता चला; और विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों/अपीलार्थीगण को अंतिम बार देखे जाने के साक्ष्य, उनके मेमोरेंडम कथनों और उनके अधीन की गई जब्ती के आधार पर दोषसिद्ध कर दिया।

28. जैसा कि हमने पहले ही मृतक की पत्नी, माता और पिता क्रमशः गणेशी बाई (अ.सा.–3), ज्ञान बाई (अ.सा.–6) और मोहन लाल (अ.सा.–8) के साक्ष्यों पर चर्चा की है, और यह अभिनिर्धारित किया है कि अ.सा.–3 और अ.सा.–6 अंतिम बार साथ देखे जाने के साक्षी नहीं हैं और वे अनुश्रुत साक्षी हैं। यद्यपि, मृतक के पिता अ.सा.–8 ने कथन किया है कि उन्होंने स्वयं देखा था कि अभियुक्त/अपीलार्थी रुक्मणी बाई उर्फ गिधहिन ने उनके मृतक पुत्र को इशारे से बुलाया था, किंतु मृतक की पत्नी और माता क्रमशः गणेशी बाई (अ.सा.–3) और ज्ञान बाई (अ.सा.–6) ने अभियुक्त/अपीलार्थी रुक्मणी बाई उर्फ गिधहिन द्वारा मृतक को बुलाए जाने के तथ्य का समर्थन नहीं किया है, इस तरह, अंतिम बार साथ देखे जाने का सिद्धांत प्रभावी नहीं होता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

29. ऐसे प्रकरण पर विचार करते समय जहाँ अभियुक्त की दोषसिद्धि अंतिम बार साथ देखे जाने की परिस्थिति पर अधारित हो, इस न्यायालय ने **संपूरण (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में, कण्डिकाएँ 11 और 12 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :–

> "**11. <u>नवनीतकृष्णन विरुद्ध राज्य द्वारा पुलिस निरीक्षक</u>**[1] के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यद्यपि अंतिम बार साथ देखे जाने का साक्ष्य अभियुक्त के दोषिता की ओर इंगित कर सकता है, किंतु केवल यह साक्ष्य ही अभियुक्त के दोष को युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित करने के भार से मुक्त नहीं कर सकता और इसके लिए संपुष्टि की आवश्यकता होती है, तथा कण्डिका 22 में निम्नानुसार अवधारित किया है:–
>
> > "22. अ.सा. 11 अपनी स्मृति के आधार पर न्यायालय में ही तीनों अभियुक्तों को उन व्यक्तियों के रूप में पहचानने में सक्षम था, जो उस समय आए थे जब वह जॉन बॉस्को के साथ अपनी कार धो रहा था और इसके

अतिरिक्त उसने उन सभी को उस दिन ओम्नी वैन में बैठे हुए अंतिम बार देखा था। उसका परिसाक्ष्य इस तथ्य के आलोक में प्रतिपरीक्षण के दौरान भी अक्षुण्ण रहा कि उक्त साक्षी की अपीलार्थीगण के विरुद्ध कोई शत्रुता नहीं है और वह एक स्वतंत्र साक्षी है। एक बार जब अ.सा. 11 का साक्ष्य स्थापित हो जाता है और पूर्ण विश्वास प्रेरित करता है, तो यह भली–भांति स्थापित हो जाता है कि ये अभियुक्त ही थे जिन्हें मृतक के साथ अंतिम बार देखा गया था, विशेषकर उन परिस्थितियों में जब अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि वे अभियुक्तों से अलग हो गए थे और तब से मृतक की किसी गतिविधि का पता नहीं लगाया जा सका और बाद में उनके शव बरामद किए गए। यह एक सुस्थापित विधिक स्थिति है कि विधि यह उपधारणा करता है कि वह व्यक्ति, जिसे मृतक के साथ अंतिम बार देखा गया था, उसी ने मृतक की हत्या की होगी और इसका खंडन करने का भार अभियुक्त पर होता है कि वे अलग हो चुके थे। निस्संदेह, अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत परिस्थितियों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण घटना है जो पूरी तरह से स्थापित कर सकती है और/या कुछ निश्चितता के साथ अभियुक्त के दोषिता की ओर इंगित कर सकती है। यद्यपि, केवल यह साक्ष्य ही अभियुक्त के दोष को युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित करने के भार का निर्वहन नहीं कर सकता और इसके लिए संपुष्टि की आवश्यकता होती है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **कन्हैया लाल (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में अपने सुप्रसिद्ध निर्णय के कण्डिका 12 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :–

"12. अंतिम बार साथ देखे जाने की परिस्थिति स्वतः ही और अनिवार्य रूप से इस निष्कर्ष की ओर नहीं ले जाती कि वह अभियुक्त ही था जिसने अपराध कारित किया था। अभियुक्त और अपराध के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य होना अनिवार्य है। हमारी सुविचारित अभिमत में, अपीलार्थी की ओर से मात्र स्पष्टीकरण न देना, अपने आप में अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि का प्रमाण नहीं हो सकता।"

31. यदि वर्तमान प्रकरण के तथ्यों को उपरोक्त उद्धृत निर्णयों के आलोक में देखा जाए, तो वर्तमान प्रकरण में अंतिम बार साथ देखे जाने का कोई सह–संबंध नहीं है और अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत कमजोर हो गया है। इसके अतिरिक्त, विवेचना अधिकारी द्वारा अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के मेमोरेंडम

और उनके अनुसरण में की गई जब्ती इस तथ्य के कारण संदिग्ध है कि विवेचना अधिकारी द्वारा अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के मेमोरेंडम कथन दर्ज करने और उसके अन्तर्गत जब्ती करने से पूर्व ही सुबह 11.00 बजे मौका नक्शा (प्र.पी–13) तैयार कर लिया गया था, जो इस तथ्य का पुख्ता प्रमाण देता है कि विवेचना अधिकारी को इन सभी वस्तुओं की पहले से जानकारी थी और मौका नक्शा तैयार करने के बाद उसने प्रदर्श पी–5 और पी–8 के अधीन मेमोरेंडम तैयार किए। ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय के लिए अभियुक्त व्यक्तियों के मेमोरेंडम कथन और उसके परिमाणस्वरुप की गई जब्ती को उनकी दोषसिद्धि का आधार बनाना बहुत कठिन है, इस तरह ये अपीलार्थीगण के विरुद्ध ग्राह्य नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार, केवल अंतिम बार साथ देखे जाने के आधार पर अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता और अभियुक्त तथा अपराध के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य होना अनिवार्य है। अपीलार्थी की ओर से मात्र स्पष्टीकरण न देना अपने आप में अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के विरुद्ध दोष का प्रमाण नहीं हो सकता। अतः, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष संधारणीय नहीं हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32. माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त उद्धृत न्यायिक उद्घोषणाओं और उपरोक्त साक्ष्यों के विश्लेषण के आलोक में, हम पाते हैं कि अभियोजन दोनों अपीलार्थीगण के विरुद्ध अपना प्रकरण समस्त युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है और निश्चित रूप से, संदेह का लाभ अपीलार्थीगण को दिया जाना चाहिए।

33. फलस्वरूप, उपरोक्त अपीलें स्वीकार की जाती हैं। दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है और अपीलार्थीगण को संदेह का लाभ देते हुए उनके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

34. अपीलार्थीगण जमानत पर हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437–क (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 481) के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए, दोनों अपीलार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल संबंधित न्यायालय के समक्ष 25,000/– रुपये प्रत्येक का व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि की एक प्रतिभूति प्रपत्र क्रमांक 45 के अनुसार प्रस्तुत करें। यह बंधपत्र छह माह की अवधि के लिए प्रभावशील होगा, जिसमें यह वचनबद्धता भी शामिल होगी कि इस निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर होने या अनुमति प्रदान किए जाने की स्थिति में, सूचना प्राप्त होने पर उपरोक्त अपीलार्थीगण माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

35. इस निर्णय की प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख अनुपालन और आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित विचारण न्यायालय को अविलंब प्रतिप्रेषित किया जाए।

सही/–
(रजनी दुबे)
न्यायाधीश

सही/–
(अमितेन्द्र किशोर प्रसाद)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur